

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प.3(2)शिक्षा-6 / 2015

जयपुर, दिनांक:-12.10.2015

### आदेश

औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा पॉलीटेक्नीक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में समिलित करने, सकाय तथा प्रभावी निर्धारण के क्रम में विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2015 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

#### 1. कक्षा-10 की समकक्षता हेतु -

1. कक्षा-आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा-10 के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
2. उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा समिलित रूप से उत्तीर्ण ऊरने के उपरान्त ही कक्षा-10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जायेगा। यह समकक्षता उसी रिथिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
3. आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी, दसवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

#### 2. कक्षा-12 की समकक्षता हेतु -

1. कक्षा-दसवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग(NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जावेगा।
2. यह समकक्षता उसी रिथिति में देय होगी, जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो। अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
3. दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT)नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी बारहवीं की समकक्षता हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
4. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्नीक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टैक्नीकल एजूकेशन(एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हे आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

3. संकाय निर्धारण :- बिन्दु संख्या 2 के सभी उक्त विन्दुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जायेगा।

(अशोक कुमार गुप्ता)  
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत एवं उच्च शिक्षामंत्री साजरथान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
14. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर/सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा दरवां व बारहवीं की समकक्षता प्रदान करने हेतु विद्यार्थी के आवेदन करने की प्रक्रिया, फीस, परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन प्रमाण पत्र तथा प्रमाणीकरण आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। उक्त जारी दिशा निर्देशों की प्रति निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, प्रशिक्षण (आईटीआई) राजस्थान जोधपुर को भी प्रेषित की जावें।
16. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान।
17. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
18. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान।
19. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान।

वरिष्ठ उप शासन सचिव